

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540, 25275320
तार : यूनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन

इन्दौर-452001

पू.क.सं.वि.क./विदे.छात्र/छात्राओं की जान./2023-24/484.

दिनांक 25 SEP 2023


प्रति,

1. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला-इन्दौर/खंडवा/खरगोन/धार/झाबुआ/बडवानी/बुरहानपुर/अलिराजपुर
2. विभागाध्यक्ष/निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाएँ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषय:- सत्र 2023-2024 में प्रवेशित विदेशी छात्र/छात्राओं की जानकारी देने बाबद।
महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-2024 में आपके शिक्षण संस्थान में यदि किसी विदेशी छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया गया हो तो संबंधित छात्र/छात्रा से "क्वियरेंस प्रमाण-पत्र" प्राप्त करें तथा संबंधित छात्र/छात्रा की समस्त जानकारी अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। यदि संस्थान द्वारा किसी भी विदेशी छात्र/छात्रा को बिना "क्वियरेंस प्रमाण-पत्र" के प्रवेश दिया गया है, तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान की होगी।


भवदीय,


कुलसचिव

पू.क.सं.वि.क./विदे.छात्र/छात्राओं की जान./2023-24/484.
प्रतिलिपि :-

दिनांक 25 SEP 2023

- 1 सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 भारत।
- 2 आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, 5 वीं मंजिल, सतपुडा भवन, म.प्र. शासन, भोपाल।
- 3 अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला इन्दौर।
- 4 मा. कुलपतिजी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण